

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/good governance/15-16/44958-68 दिनांक : 11/12/19

परियोजना अधिकारी
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

विषय : न्यायिक क्वार्टर सलुम्बर के भवन का मरम्मत एवं रखरखाव कार्य हेतु राशि की व्यवस्था बाबत।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 2772 दिनांक 16.9.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 26122-33 दिनांक 23.07.2018 द्वारा न्यायिक क्वार्टर सलुम्बर के भवन का मरम्मत एवं रखरखाव कार्य हेतु राशि रु. 1.53 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई एवं कार्य की कार्यकारी एजेन्सी - सार्वजनिक निर्माण विभाग को नियुक्त किया गया।

राशि रु. 1.53 लाख का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 49/2017-18 द्वारा स्वीकृत कार्यों की कार्य पूर्णता पश्चात् निम्नानुसार बचत रही राशि रु. 6.72 लाख उपलब्ध है मे से करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(राशि लाखो मे)

क्र.स.	कार्य का नाम व स्थान	वित्तीय स्वीकृति		व्यय राशि	बचत राशि
		क्र/दि	राशि		
1	नवीनीकरण एवं अतिरिक्त निर्माण कार्य प्रशिक्षण भवन टी.आर.आई.।	30811/ 24.10.17	79.58	72.86	6.72

उपरोक्त बचत राशि रु. 6.72 लाख परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध है।

स्वीकृति शेष शर्तें पूर्ववत रहेगी।

(शिवांगी स्वर्णकार)I.A.S
आयुक्त

क्रमांक यथोपरि/ 44958-68
प्रतिलिपि :-

दिनांक : 11/12/19

1. जिला कलक्टर, उदयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर।
3. अधीक्षण/अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. वृत्त उदयपुर/खण्ड सलुम्बर जिला उदयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा।
5. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, उदयपुर को समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
6. निदेशक मोनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा/गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)